जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 1967 / 2022 दिनांकः 13 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,
समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

विषयः–शैक्षिक सत्र 2022–23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराए जाने एवं प्रवेश लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयानुक्रम में सूच्य है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों, जिनमें विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन / नियुक्तियाँ नहीं की जा सकी हैं, उन सभी पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा, जिसके फलस्वरूप शिक्षकों के अभाव के दृष्टिगत सन्दर्भित पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अतः महाविद्यायलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि **महाविद्यालयों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित एवं कार्यरत नहीं हैं, दिनांकः 28 अगस्त, 2022 तक नामित विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों के अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में शैक्षिक सत्र 2022–23 में सन्दर्भगत पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लिया जाय।** यह भी सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों के अभाव में यदि प्रवेश लिये गये हैं, तो ऐसे छात्र / छात्राओं की आगामी परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

भवदीय,

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति महोदया।
2. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव